



July 28, 2026

IGAL/SECT/7-26/15

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C - 1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra - (E)
Mumbai - 400 051

To
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 539448

Symbol: INDIGO

Sub : Newspaper Advertisements

Ref : Information regarding 23rd Annual General Meeting

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements relating to information regarding 23rd Annual General Meeting to be held through Video conference/Other Audio-Visual Means, published in Financial Express (English - all editions) and Jansatta (Hindi - Delhi edition) on July 28, 2026.

This disclosure is also being made available on the Company's website at www.goindigo.in.

This is for your information and record.

Thanking you,

For **InterGlobe Aviation Limited**

Neerja Sharma

Company Secretary & Chief Compliance Officer

Encl: a/a

EXCHANGES TO REPORT ELIGIBLE TRANSACTIONS ANNUALLY

CBDT's crypto reporting norms to aid transparency

SHUBHAM RANA
New Delhi, July 27

THE NEW GUIDANCE norms by the Central Board of Direct Taxes (CBDT) on the adoption of the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) provide operational clarity and will bring in transparency, experts said.

The CBDT has issued a guidance note for the adoption of the CARF, developed by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to extend global tax transparency standards to crypto-asset activities.

The note gives guidance to Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASPs) for compliance with the reporting obligations under section 509 of the Income-tax Act, 2025, and under Rules 241 to 244 and Form 167 of the Income-tax Rules, 2026.

"The guidance note is a timely step in operationalising India's crypto-asset reporting

GREY AREA

■ The Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) is developed by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to extend global tax transparency standards to crypto-asset activities

■ In India, cryptocurrency is a grey area with no govt policy on banning or regulating such assets



■ Experts said this is only a reporting compliance update, not a regulatory measure

■ According to reports, the Reserve Bank of India recently called for a policy banning cryptocurrency

framework and is aligned with the OECD's CARF standards," said Richa Sawhney, partner-Tax, Grant Thornton Bharat. Sawhney said the note provides practical guidance to RCASPs on their obligations under the Income-tax Act and Rules, and addresses the key facets of implementation, including scope, due diligence,

reporting requirements, filing process and penalties. Under the CARF, crypto exchanges are required to report eligible crypto transactions annually. Experts said this is only a reporting compliance update, not a regulatory measure.

"Importantly, it is a tax transparency and informa-

tion-reporting measure, not a broader regulation of the legitimacy or permissibility of crypto-asset transactions," Sawhney said.

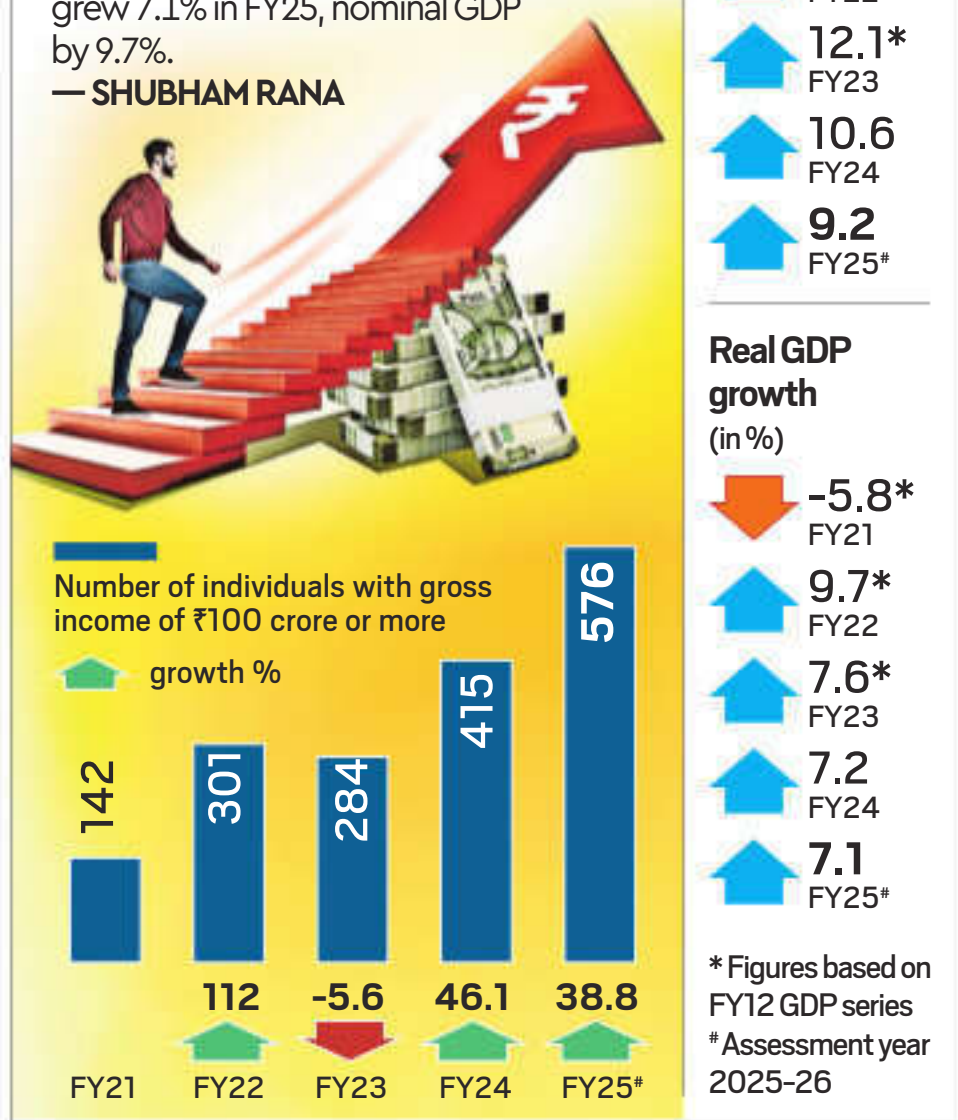
In India, cryptocurrency operates in a grey area with no government policy on either banning or regulating such assets. According to reports, the Reserve Bank of India recently called for a policy banning cryptocurrency.

CBDT Chairman Ravi Agrawal said in the guidance note that India's commitment to combating tax evasion and protecting its revenue base has remained steadfast. "I am confident that this document will serve as a useful reference for crypto-asset service providers and officers alike and will facilitate the timely and effective implementation of the reporting framework for crypto-asset transactions in India and reinforce India's standing as a pillar of global tax transparency, both today and in the years to come," Agrawal said.

FOURFOLD SURGE IN PEOPLE WITH ₹100-CR+ INCOME

THE NUMBER OF individuals with gross total income of ₹100 crore or more have increased four-fold in the five years through FY25, the finance ministry told Lok Sabha on Monday. In FY25, 576 individuals reported gross total income of ₹100 crore or more, compared with 415 in the previous fiscal, an y-o-y growth of 39%. In contrast, India's real GDP grew 7.1% in FY25, nominal GDP by 9.7%.

— SHUBHAM RANA



Nominal per capita net national income (growth %)

↓ -3.9* FY21
↑ 18.6* FY22
↑ 12.1* FY23
↑ 10.6 FY24
↑ 9.2 FY25*

Real GDP growth (in %)

↓ -5.8* FY21
↑ 9.7* FY22
↑ 7.6* FY23
↑ 7.2 FY24
↑ 7.1 FY25*

Govt urges RBI for more co-op banks licences

HARIKISHAN SHARMA
New Delhi, July 27

THE MINISTRY OF Cooperation has urged the Reserve Bank of India (RBI) to open licences for more urban cooperative banks in the country, a top official said on Monday.

Speaking at a book release function, Cooperation Ministry Secretary Ashish Kumar Bhutani said that India needs urban cooperative banks (UCBs) in every town of the country.

Echoing the views, Satish K Marathe, director, Central Board of RBI, said there are hundreds of districts in the country that do not have UCBs.

"Of the 1,450 UCBs in the country, almost 1,100 are in three states — Maharashtra, Gujarat, and Karnataka. The rest of the country has very few (urban cooperative) banks," Marathe said, speaking after the release of the book 'Cooperative Management: The Indian Perspective', co-authored by KK Tripathy, Joint Secretary in the Economic Advisory Council to The Prime Minister. Harekr-

ishna Misra and SK Wadkar co-wrote the book.

Responding to the remarks made by Marathe, Bhutani said, "This is one of the biggest, I would say, focus areas for the ministry... We are... agitating with Mr Marathe in the RBI to open up licensing, bring in licensing policy for the UCBs." He said, "The Honorable Minister (Amit Shah) has also said in many forums that we need UCBs in every town of the country, and we need a district central corporate bank in every district of the country."

Bhutani also shared how a pilot project started in Gujarat helped the cooperative banks in raising additional resources. He said, "A lot of cooperatives are working in this space. A lot of people are working, institutions are working (in the cooperative sector), but all their bank accounts are in other banks (banks in the non-cooperative sector). What we did is that we opened all the bank accounts in the cooperative banks. All members were asked to open accounts only in cooperative banks."

PARLIAMENT QUESTIONS

Nearly ₹27K cr raised from disinvestment, asset monetisation till July 22

THE GOVERNMENT HAS raised ₹26,639 crore as on July 22 from disinvestment and asset monetisation, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary told the Lok Sabha on Monday. This makes up for 33% of the government's ₹80,000 crore target under Miscellaneous Capital Receipts for 2026-27 (April-March).

₹282 cr raised from disposed compounding applications

THE GOVERNMENT RECEIVED ₹282 crore in the last six years from the disposed compounding applications, Chaudhary told the Lok Sabha. This made up 82% of the amount imposed on the 3,670 compounding applications in the six-year period, including 2026-27 so far.

Govt approves RBI proposal for ₹10 and ₹20 polymer

— FE BUREAU/PTI

banknotes trial

THE GOVERNMENT HAS approved a proposal from the Reserve Bank of India to introduce 1 billion pieces each of ₹10 and ₹20 polymer banknotes for field trials, Chaudhary told the Lok Sabha.

Anti-paper leak Bill introduced in Lok Sabha amid din

AFTER SIX STRAIGHT days of disruption over NEET fiasco, the Lok Sabha is likely to function smoothly on Tuesday when it takes up for discussion a Bill to amend the anti-paper leak law, which was introduced in the House amidst din.

No proposal for one-time waiver of loans of small, marginal farmers

THE GOVERNMENT HAS no proposal for a one-time waiver of loans of small and marginal farmers, Parliament was informed on Monday.

NHAI secures ₹46-cr order by tribunal for ₹3,177-cr claim

FE BUREAU
New Delhi, July 27

THE NATIONAL HIGHWAYS Authority of India (NHAI) has successfully defended a ₹3,177 crore claim filed by a concessionaire of a road project with the Arbitral Tribunal only allowing only claims worth ₹46 crore.

The case involved Bareilly Highways Project (BHP), a concessionaire promoted by Era Infra Engineering for the 151 km long Bareilly – Sitapur BOT (Toll) project in Uttar Pradesh which was terminated by NHAI in May 2019.

The three-member Arbitral

Tribunal examined claims and counterclaims arising out of the concession agreement for the project. The Concessionaire had raised 30 claims aggregating to around ₹3,177 crore. After detailed consideration, the tribunal allowed only three claims amounting to ₹46 crore plus applicable interest, while rejecting the majority of the claims.

The Arbitral Tribunal substantially upheld the position of NHAI, thereby safeguarding public resources and reaffirming the contractual framework governing National Highway projects, a statement by NHAI said.

Y
YULE

ANDREW YULE & COMPANY LIMITED
(A Government of India Enterprise)
8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Kolkata - 700 001
CIN: L63090WB1919G0003229

[Recruitment Advertisement No. 2025/03]

The Company is looking for qualified and experienced candidates on contractual basis for 05 (Five) years of the company (as indicated herein below) to fill up the following position.

Position	Equivalent Grade	Location	No. of Post
Asst. Officer GR-I/Dy Officer (P&A)	S2/S3	Kalyani, West Bengal	01

For details log on to Company's website <http://www.andrewyule.com/current-opening.php>

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the concerned persons and the general public that Mr. Aakash Ajay Srivastav, formerly employed with Drip Capital Services India LLP ("the Company"), ceased to be associated with the Company with effect from June 17, 2026. Since the said date, he has no association, authority to represent, act for, or conduct any business on behalf of the Company or any of its affiliates, including Drip Capital Inc & Voyager Trading Partners LLC in any capacity.

The public is cautioned not to deal with Mr. Srivastav on behalf of the Company or its affiliates. Anyone doing so shall do so entirely at their own risk and responsibility, and neither the Company nor any of its affiliates shall be responsible for or bound by any act, representation, commitment, or transaction undertaken by Mr. Srivastav after the aforesaid date.

By Order
Drip Capital Services India LLP

QUICK PICKS

₹335 cr for Maha for agri scheme

UNION AGRICULTURE MINISTER Shivraj Singh Chouhan on Monday said the Maharashtra government will get the second instalment of ₹335 crore under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).

—PTI

UP targets 10% of India's new GCCs

UTTAR PRADESH is aiming to emerge as India's next major Global Capability Centre (GCC) hub by attracting nearly 10% of all new GCCs established in the country, a senior state government official said on Monday. —PTI

SHREE BHAGWATI CREDIT PORTFOLIOS PRIVATE LIMITED
CIN: U74999DL1993PT0053122
Regd Office: Unit No. 1274, 12th Floor, Aggarwal Cyber Plaza-II, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi-110034. Phone No.: 011-41600757
Email id: Shreebhagwatcredit@gmail.com

NOTICE
Notice is hereby given to the General Public that the Certificate of Registration bearing No. B-14 02752, dated 28/11/2002 issued to the company by the Reserve Bank of India under the NBFC Regulations and Guidelines has been lost or misplaced and is not traceable in spite of due and diligent search having been made.

Any person who has found or is in possession of the said Certificate is hereby requested to return the same immediately to the company at the aforesaid address or contact the undersigned, failing which it shall be presumed that there are no claims and a request shall be made to the Reserve Bank of India for issuance of a duplicate Certificate.

It is hereby warned that strict action will be taken against any persons who try to exploit or misuse the Certificate in any manner.

For Shree Bhagwati Credit Portfolios Private Limited
Sd/-
Anju Goyal (Director)
DIN: 00918630
Place: Delhi
Date: 27/07/2026
326, Kohat Enclave, Pitampura, Delhi-110034

Uno Mindarika Private Limited

(CIN : U74899DL1995PTC073692)

Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi – 110 052

Email Id: csmrpl@unomindara.com

Ph.: +91 124-2290-693, +91 124-2290-428

NOTICE

Pursuant to the provisions of Section 201(2) of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Company intends to make application to the Central Government under Section 196, 197, 203 read with Schedule V and other applicable provisions, if any, of the Act and the Rules made thereunder, for seeking its approval for appointment of Mr. Kazuyoshi Tsujimura (DIN: 11718450), (Non-Resident), as Whole Time Director, designated as Deputy Managing Director of the Company, w.e.f., 01st July, 2026 to hold office for a period of 3 (three) years, in terms of the approval conferred by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 29th June, 2026 and approved by shareholders of the Company at its Extra Ordinary General Meeting held on 29th June, 2026.

For Uno Mindarika Pvt. Ltd.
Anuja Singh Parihar
Company Secretary
Mem. No. A38741

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
2nd Floor, NSIC Business Park, New MDOP Building, Okhla Industrial Area New Delhi-110020
Tender Notice (e-Tendering mode only)

Online tenders in Two Bid system are invited for ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE OF FIRE FIGHTING AND FIRE ALARM SYSTEMS AT ICID/ TUGLAKABAD NEW DELHI FOR 36 MONTHS only through e-tendering mode. The bid document can only be downloaded after paying Rs. 1000/- through online from the website (www.tenderwizard.com/CCIL).

Tender No. CON/ANURA-1/TKD/TECH/004/01 OF FIRE FIGHTING SYSTEM/2026-27

Name of Work ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE OF Fire Fighting and Fire Alarm Systems at ICID (Tuglakabad New Delhi) for 36 Months

Estimated Cost ₹ 2,45,21,319.81/- (inclusive of GST)

Period of the contract 36 Months (As per Clause-6 of Section -II)

Earnest Money Deposit ₹ 2,72,606.60/- (through e-payment) as per clause -2.1 (a) of section -I

Cost of Document* ₹ 1000/- inclusive of all taxes and duties through e-payment

Tender processing fee* ₹ 3,540/- (inclusive of 18% GST) through e-payment which is non-refundable

Date of Sale (On Line) From 28.07.2026 at 15:00 Hrs. to 17.08.2026 up to 16:00 Hrs.

Date & Time of submission 18.08.2026 up to 15:00 Hrs. (E-Tendering Mode Only)

Date & Time of Opening 19.08.2026 at 15:30 Hrs.

*Through e-Payment. CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons thereof. For complete details logon to www.tenderwizard.com/CCIL.
Sr. General Manager/Technical (Area-I)

KCK INDUSTRIES LIMITED

Regd Office: PLOT NO 484B, VILLAGE DARIA KHATAUNI NO 95, KHASRA 9/7 CHANDIGARH, CIN: L62099CH2013PLC034388, Email Id: csg@kcksales.com.in

Phone: 0172-5086885

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

The Company had issued Notice of 1st Extra Ordinary General Meeting (EGM) for the Financial Year 2026-2027 to the Shareholders of the Company to be held on Monday, 3rd day of August, 2026 at 11:30 A.M. (IST) through video conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the business set forth in the Notice of the AGM. The Corrigendum is issued to inform the shareholders regarding the following changes in the said Notice of EGM in terms of suggestions/comments/received from the stock exchange:

The Explanatory Statement to the Notice of EGM has been updated w.r.t. Item No. 1 sub point no 5, 6, 8, 11 and 17 respectively and provided herein below:

- The valuation reports pursuant to the provisions of Regulation 163(2) of SEBI ICDR Regulations.
- The Intent of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the Company.
- The shareholding pattern before and after the Preferential Issue
- The current and proposed status of the allottee's post the preferential issues namely, promoter or non-promoter.

In view of the aforesaid, we are submitting the Corrigendum to the AGM Notice of the Company. The same is also available on the Company's Website at: <https://www.kckindustriesltd.com/preferential-issue.html>.

By Order of Board
For KCK Industries Limited
Sd/-
Jagdish Prasad Arya
Managing Director
DIN: 06496549
Place: Chandigarh
Date: July 27, 2026

FUTURE VARSITY
शिक्षा • नवाचार • नेतृत्व
शैक्षणिक पदों हेतु आवेदन आमंत्रित
प्रस्तावित B.A. (Hons.) संस्कृत एवं सखिल सर्विलेज स्टडीज़ कार्यक्रम हेतु योग्य एवं पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित है।
पूर्णकालिक (FULL-TIME) पद
• संस्कृत • राजनीतिक विज्ञान • इतिहास
अतिथि / अंशकालिक (VISITING / GUEST) पद
• अंग्रेजी • कंप्यूटर एप्लीकेशन / ICT • व्यक्तित्व विकास / सॉफ्ट स्किल्स
कैंपस: मुंबई | अहमदाबाद | जयपुर | नोएडा
पात्रता: UGC एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार।
अपना CV ईमेल करें: careers@futurevarsity.edu.in
आवेदन भेजने की अंतिम तिथि: प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर

UNIVERSAL AUTOFOUNDRY LIMITED
Regd. Office: B-307, Road No.16, V.K.I. Area, Jaipur - 302 013 (Rajasthan)
Tel: 0141-4109598; CIN: L27310RJ2009PLC030038;
Website: www.ufindia.com; E-mail: support@ufindia.com

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2026
The Unaudited standalone financial results of the Company prepared in accordance with Indian Accounting Standards (the "Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013: (Rs in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2026 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2026 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2025 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	5472.64	6,162.53	4711.69	21,349.78
2.	Operating Profit (PBIDT)	260.71	314.62	349.64	1,130.78
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax	(166.52)	(214.48)	22.00	(453.91)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(161.40)	(155.12)	68.38	(334.39)
5.	Total Comprehensive Income for the period	(161.40)	(166.66)	68.38	(345.93)
6.	Equity Share Capital (of Rs. 10 each)	1243.45	1,243.45	1243.45	1,243.45
7.	Reserves	-	-	-	5,951.26
8.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each)	(1.30)	(1.25)	0.55	(2.69)
1. Basic (in Rs.)		(1.30)	(1.25)	0.55	(2.69)
2. Diluted (in Rs.)		(1.30)	(1.25)	0.55	(2.69)

Note: 1) The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results were reviewed by the Audit Committee in their meeting held on Monday, July 27, 2026. The full format of the quarterly unaudited financial results is available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.ufindia.com. The same can be accessed through the QR code given below.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Vimal Chand Jain)
DIN: 00295667

Place: Jaipur
Date: July 27, 2026

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX (JUDICIAL)
ROOM NO. 162-A, C.R. BUILDING, NEW DELHI.
PHONE & FAX-011-23379308

F.No. CIT (Judl)/NCLT Matter/2026/27/535 Dated:17.07.2026

FORM NO. NCLT. 3A
Advertisement detailing Appeal (See Rule 35)
IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,
NEW DELHI COURT-III
Company Appeal No. 150/ND/2025

NOTICE OF APPEAL

An Appeal under Section 252(3) of the Companies Act, 2013 for restoration of the name of M/s Chandrapal Developers Private Limited has been preferred by the Income Tax Officer before the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Court-III.

The matter is fixed for hearing before the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Court-III on the date already notified by the Hon'ble Tribunal.

Any person desirous of supporting or opposing the said Appeal should send to the Appellant's Advocates, notice of his intention, signed by him or his Advocate, together with his name and address, so as to reach the Appellant's Advocates not later than two days before the date fixed for hearing of the Appeal. Any person seeking to oppose the Appeal shall also furnish the grounds of opposition or a copy of the affidavit intended to be relied upon along with such notice.

A copy of the Appeal shall be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges.

Through
(ANURAG OJHA) (PRATHAM SHARMA)
Advocates,
Standing Counsels for the Income Tax Department
Chamber No. 346A, Lawyer's Chamber-I, Delhi High Court,
New Delhi-110003
Ph.: 011-35694374; +91-8860069704
Email: anuragojha0502@gmail.com, prathamsharmalaw@gmail.com
Date: 22.07.2026
Place: New Delhi

Sd/-
Income Tax Officer
(Judicial)-3, New Delhi
CBC 15403/11/0014/2627

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS

FINANCIAL EXPRESS

खबर कोना

डीयू में ओपन लर्निंग से भी पीजी करने का मौका

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) ने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में एक साल के पीजी प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसी सत्र से कामर्स, राजनितिक विज्ञान, इतिहास, हिंदी और संस्कृत में एक साल के पीजी पाठ्यक्रम में दाखिले का मौका दिया है। यह मौका चार वर्षीय स्नातक (एफवाइयूपी) पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। एसओएल की निदेशक प्रोफेसर पायल मागो ने बताया कि एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम शुरू होने से वर्तमान दो साल वाले पीजी पाठ्यक्रमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों कार्यक्रम साथ-साथ संचालित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी।

बेहोश होकर गिरे वकील को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

राजधानी में व्यस्त आइटीओ चौराहे पर मोटरसाइकिल चलाते समय सदिध तौर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद सड़क पर गिरे अधिवक्ता नमनीत को यातायात पुलिस के एक कर्मी ने कार्डियोपल्मोनेरी रिससिटेशन (सीपीआर) दिया और उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार सुबह करीब 11:55 बजे हुई, जब कमला मार्केट सर्कल के यातायात निरीक्षक गोपाल मध्य दिल्ली में आइटीओ के ए-व्हाइट पर यातायात को नियंत्रित कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि अधिकारी ने देखा कि मोटरसाइकिल चालक अचानक अपने वाहन से नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर गिर गया।

होटल अग्निकांड मामले में रसोइए को मिली जमानत

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

एक अदालत ने पिछले महीने मालवीय नगर के एक होटल में लगी आग के सिलसिले में गिरफ्तार एक रसोइए को सोमवार को जमानत दे दी। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल ने तीन जून को आग लगने की घटना में कथित तौर पर लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार केशर नेगी की जमानत अजी पर सुनवाई की। मालवीय नगर के हौजर रानी इलाके में ‘प्लोरिश स्टेज बेंड डेड ड्रेकफास्ट’ में लगी आग की जांच के सिलसिले में कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनसे पूछताछ की गई। होटल के मालिक लक्वेश बजाज के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

नीरज कुमार मिश्र ‘लिखावट साहित्य सम्मान’ से पुरस्कृत

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

युवा आलोचक नीरज कुमार मिश्र को हिंदी गजल साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लिखावट फाउंडेशन ने ‘लिखावट साहित्य सम्मान’ से पुरस्कृत किया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘एक शाम गजल के नाम’ कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ गजलकार हरeram समीप ने की। सम्मान प्राप्त करने के बाद नीरज कुमार मिश्र ने फाउंडेशन के संयोजक वरिष्ठ कवि मिथिलेश श्रीवास्तव का आभार जताते हुए कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कार्यक्रम में अमर पंकज, बिनोद सिन्हा, जगमोहन राय ‘सजल’ और दिव्या जैन ने अपनी गजलों को सुनाकर सभी को भावविभोर कर दिया। इस अवसर पर तीन पुस्तकों का लोकार्पण और उस पर बातचीत हुई। नीरज ने गजलों के इतिहास और इस आयोजन में शामिल गजलकारों पर अपना वक्तव्य दिया। संचालन विवेकानंद ने किया।

सोनिया व राहुल को ईडी की याचिका पर जवाब देने को तीन हफ्ते का समय

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने नैशनल हेरल्ड से जुड़े धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सोमवार को संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने कहा कि अदालत इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर को करेगी। न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि हम आज (सोमवार को) इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। पहले से निर्धारित दो अन्य मामलों पर भी आज सुनवाई होनी है।

नई दिल्ली

राजधानी

नीट पेपर लीक मामले

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए बनाई गई त्वरित अदालत में सोमवार को पहली सुनवाई टाल दी गई, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। दो आरोपियों दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर विशेष न्यायाधीश अनु गोवर बालीगा के सामने सुनवाई होनी थी। न्यायाधीश ने कहा कि जमानत अर्जी पर बहस करने के लिए सुबह 10:45 बजे तक राज्य की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। पुलिस ने आरोपी के वकील की इस बात पर संज्ञान लिया कि मामले की सुनवाई तीन अगस्त तक टाल दी जाए, क्योंकि उन्हें रोहिणी जिला अदालत में एक मामले पर बहस करनी थी और वे और इंतजार नहीं कर सकते थे। न्यायाधीश ने शनिवार को उस विशेष अदालत का कामकाज संभाला, जो सार्वजनिक

परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरे गलत तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। इससे पहले 23 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया

कार्यक्रम

नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय से सोमवार को संत रविदास की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए वाराणसी जाने वाली गाड़ियों को रवाना करते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और अन्य।

आइबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

ताहिर व चार अन्य की सजा पर फैसला सुरक्षित

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुई खुफिया ब्यूरो (आइबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दी जाने वाली सजा पर अपना फैसला 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। पांच दोषियों को दी जाने वाली सजा की आधी पर दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अदालत से सभी पांचों दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया

सड़क हादसे में एक व्यक्ति की गई जान, दूसरा घायल

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पार कर रहे पैदल यात्री की एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से मौत हो गई। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार रावल ने बताया कि रविवार-सोमवार को दरमियाानी रात कल्याणपुरी थाने को गाजीपुर सीएनबी पंप के पास हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि गोविंदपुरी एक्सटेंशन निवासी जसविंकर सिद्धू (56) राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को पैदल पार कर रहे थे, तभी उन्हें एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। हादसे में सिद्धू और मोटरसाइकिल सवार 35 वर्षीय आसिफ जख्मी हो गए। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। बाद में सिद्धू को गुरुतेग बहादुर अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई, जबकि मुजफ्फरनगर निवासी आसिफ का इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है।

नैशनल हेरल्ड मामला

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

अदालत की वाद सूची में मामलों की संख्या बहुत अधिक है। प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत का फैसला पूरी तरह गलत है और हाई कोर्ट द्वारा दो महीने पहले समय दिए जाने के बावजूद प्रतिवादियों ने अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। सालिसिटर जनरल ने दलील दी कि यह केवल कानून से जुड़ा सवाल है। जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने पहले समय दिया गया था। मैं जवाब दाखिल करने का विरोध नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से कानून का सवाल है। अदालत ने आदेश दिया कि दलीलों के लिए मामले को दस सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए।

नीट पेपर लीक मामले

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रदेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र कथित लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी (काजपा) के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की कथित तौर पर की गई दखलंदजी वाली निगरानी से जुड़ी जनहित याचिका (पीआइएल) अब निरर्थक हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह ‘स्थिति को और सामान्य होने दें’ और बाद में ऐसी याचिका दायर करें जो किसी एक प्रदर्शन तक सीमित ना होकर ‘सामान्य प्रकृति’ की हो। यह जनहित याचिका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

था कि न्यायिक अधिकारी बालीगा की अदालत, ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024’ के तहत अपराधों और संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए तुरंत प्रभाव से विशेष रूप से नामित त्वरित अदालत

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए सोमवार को निगम मुख्यालय स्थित सिविक सेंटर में चुनाव हुआ। वार्ड संख्या-226 (मौतपुरी) से पार्षद सत्या शर्मा स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए और वार्ड संख्या-248 (करावल नगर वेस्ट) से पार्षद सत्यपाल सिंह स्थायी समिति के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। सत्या शर्मा दूसरी बार निर्विरोध स्थायी समिति की अध्यक्ष चुनी गईं। दरअसल, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्थायी समिति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्वाचित होने के बाद सत्या शर्मा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री

आइबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

ताहिर व चार अन्य की सजा पर फैसला सुरक्षित

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

कार्यक्रम

नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय से सोमवार को संत रविदास की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए वाराणसी जाने वाली गाड़ियों को रवाना करते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और अन्य।

अधिकारियों ने बताया कि अंकित शर्मा को 51 घायल पाए गए, जिनमें से 18 घायल धारदार हथियारों से किए गए थे। इस्तेमाल किए गए हथियारों से इस अपराध के पीछे की मंशा और अपराधियों की कूरता का पता चलता है। वे जानवरों जैसी हरकत पर उतर आए थे। शर्मा की मौत के बाद भी वे उन पर हमला करते रहे। पांडे ने कहा कि अपराध जघन्य और क्रूर था तथा दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्मम हत्या थी। वारदात के समय ये लोग कसाई बन गए थे। इन लोगों को जेल में रखा जाना चाहिए और मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड

सीआईएन: एल62100डीएल2004पीएलसी129768

पंजीकृत कार्यालय: अपर ग्राउंड फ्लोर, थापर हाउस, गेट नं० 2, वेस्टर्न विंग, 124 जनपथ, नई दिल्ली-110001, भारत

टेलीफोन: +91 9650098905; फ़ैक्स: +91 11 43513200

ई-मेल: investors@goinddigo.in; वेबसाइट: www.goinddigo.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली 23वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 20 अगस्त, 2026 को 1100 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहा गया है) के अनुपालन में एजीएम की सूचना ("सूचना") में दिए गए कार्यों को संपन्न करने के लिए आयोजित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट/ डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य यह भी ध्यान दें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.goinddigo.in के इन्वेस्टर रिलेशंस सेक्शन, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की www.nseindia.com तथा ई-वोटिंग सुविधा प्रदाता – नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

कंपनी उन सदस्यों को फिजिकल रूप में सूचना भी भेजेगी, जिनके ई-मेल पते रिकॉर्ड में पंजीकृत/अपडेट नहीं हैं। इस पत्र में वित्तीय वर्ष 2026 की वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की 23वीं एजीएम की सूचना देखने के लिए वेब-लंक दिया जाएगा।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और www.evoting.nsdl.com पर एजीएम का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।

सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया और निर्देश सूचना में दिए जा रहे हैं।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के लिए

हस्ता./—

निरजा शर्मा

कंपनी सचिव तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 27 जुलाई, 2026

स्थान : गुरुग्राम

नई दिल्ली

नई दिल्ली

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नीट पेपर लीक मामले

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

काजपा संघ (जेएनयूपएसयू) की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष ने दायर की थी। हालांकि, घोष के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि याचिका में की गई मांगें अभी भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि इसमें कानूनी दांचे के अभाव में प्रदर्शनकारियों की निगरानी का मुद्दा उठाया गया है। पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि आप ऐसी याचिका दायर करें जिसमें हम प्रावधानों की पड़ताल कर सकें। जैसा कि हमने समझा, यह याचिका एक विशेष प्रदर्शन तक सीमित है। हम आपको एक ऐसी याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं जो सामान्य प्रकृति की हो। (वर्तमान याचिका पर जोर देने की) आपकी यह मांग...चीजें शांत हो गई हैं। स्थिति को और सामान्य होने दें।

था कि न्यायिक अधिकारी बालीगा की अदालत, ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024’ के तहत अपराधों और संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए तुरंत प्रभाव से विशेष रूप से नामित त्वरित अदालत

दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति चुनाव

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए सोमवार को निगम मुख्यालय स्थित सिविक सेंटर में चुनाव हुआ। वार्ड संख्या-226 (मौतपुरी) से पार्षद सत्या शर्मा स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए और वार्ड संख्या-248 (करावल नगर वेस्ट) से पार्षद सत्यपाल सिंह स्थायी समिति के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। सत्या शर्मा दूसरी बार निर्विरोध स्थायी समिति की अध्यक्ष चुनी गईं। दरअसल, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्थायी समिति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्वाचित होने के बाद सत्या शर्मा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को कहा कि हाल ही में समाप्त हुए छात्रों के आंदोलन की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध का तरीका आज भी प्रासंगिक है। वांगचुक ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय मंत्रियों का उनका अनशन तोड़ने में मदद करना केंद्र सरकार के उनकी (वांगचुक की) मांगों को स्वीकार करने का संकेत था, न कि किसी तरह

नई दिल्ली

नई दिल्ली

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नीट पेपर लीक मामले

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

काजपा संघ (जेएनयूपएसयू) की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष ने दायर की थी। हालांकि, घोष के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि याचिका में की गई मांगें अभी भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि इसमें कानूनी दांचे के अभाव में प्रदर्शनकारियों की निगरानी का मुद्दा उठाया गया है। पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि आप ऐसी याचिका दायर करें जिसमें हम प्रावधानों की पड़ताल कर सकें। जैसा कि हमने समझा, यह याचिका एक विशेष प्रदर्शन तक सीमित है। हम आपको एक ऐसी याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं जो सामान्य प्रकृति की हो। (वर्तमान याचिका पर जोर देने की) आपकी यह मांग...चीजें शांत हो गई हैं। स्थिति को और सामान्य होने दें।

के तौर पर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा के बाद यह अधिसूचना जारी की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि पेपर लीक के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए त्वरित अदालतें बनाई जाएंगी।

दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति चुनाव

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

कार्यक्रम

नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय से सोमवार को संत रविदास की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए वाराणसी जाने वाली गाड़ियों को रवाना करते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और अन्य।

विजयी मुद्रा में सत्यपाल सिंह और सत्या शर्मा। नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का विशेष

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को कहा कि हाल ही में समाप्त हुए छात्रों के आंदोलन की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध का तरीका आज भी प्रासंगिक है। वांगचुक ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय मंत्रियों का उनका अनशन तोड़ने में मदद करना केंद्र सरकार के उनकी (वांगचुक की) मांगों को स्वीकार करने का संकेत था, न कि किसी तरह

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

आपत्तिजनक भाषा वाले पोस्ट पर सोशल मीडिया खाते को नोटिस भेजा

जानसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली पुलिस ने काकरोच जनता पार्टी (काजपा) के जंतर मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा वाले या अवैध पोस्ट डिलीट करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि यह कार्रवाई विरोध प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद अपलोड की गई सामग्री की समीक्षा के बाद की गई है। पुलिस कानून के संचालित उल्लंघन और लोक व्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर सोशल मीडिया मंचों पर डाले गए पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियों की जांच कर रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आपत्तिजनक व अवैध सामग्री को हटाना एक सतत प्रक्रिया है। एक अधिकारी ने कहा कि निगरानी के दौरान, पाकिस्तान से जुड़े 480 से अधिक सोशल मीडिया खाता की पहचान की गई है।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

रूप से धन्यवाद दिया। सत्या शर्मा ने कहा कि उनके आगामी कार्यकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकता वर्ष 2022 के एमसीडी चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली की जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारना तथा जनहित के विकास कार्यों को गति देना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में स्थायी समिति के बजट में घोषित जनहितकारी योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के समन्वित प्रयासों से राजधानी में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। भरतखरा, ओखला एवं गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ लगातार छोटे हो रहे हैं तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाप्त करने के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 27 जुलाई।

का राजनीतिक समर्थन। वांगचुक को सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद वह राजघाट पर महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वांगचुक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में, 26 दिन का अनशन समाप्त करने को लेकर उनकी आलोचना लदाख की परंपराओं को ठीक से नहीं समझने के कारण की गई। वांगचुक ने कहा कि मैं बापू (महात्मा गांधी) को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता था। उनका (अहिंसा का) मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना 100 वर्ष पहले था। आज वह प्रयोग सफल साबित हुआ है।

एनटीपीसी
NTPC

एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

CIN: L40101DL1975GOI007966

पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कौथ कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

फ़ोन : 011-24360959 फ़ैक्स: 011-24360241

ईमेल: isd@ntpc.co.in वेबसाइट: www.ntpc.co.in

50वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संबंध में सूचना

इसद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों के साथ पंजित समय-समय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी परिपत्रों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों (जिन्हें सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहा गया है) के अनुपालन में एनटीपीसी लिमिटेड की 50वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सूचनापत्र, 27 अगस्त 2026 को प्रातः 10.30 बजे (आईएसटी) वैश्वीय कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑनलाइन-विड्युओ माध्यम (आरएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी। उपरोक्त कवित्व परिपत्रों के अनुसारण में वार्षिक रिपोर्ट के साथ 50वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिवायजिटी प्रोडिक्टिफ/डिवायजिटी के पास पंजीकृत हैं।

सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 कंपनी की वेबसाइट <http://ntpc.co.in/investors/financial-performance/annual-reports> और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के वेबसाइट लिमिटेड (क्रेमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ई-वॉटिंग के माध्यम से मतदान का तरीका: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार 50वीं एजीएम में विचारणीय प्रस्तावों पर रिमोट ई-वॉटिंग और एजीएम के दौरान ई-वॉटिंग के माध्यम से मतदान किया जाएगा। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के पदांश डिवायजिटी सर्विसेज (डिवायजिटी) लिमिटेड (सीओएसएल) की सहायता ली है। जिन शेयरधारकों के पास शेर्य मौलिक प्रारूप में है या डिवायजिटी अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवा है और वे एजीएम में भाग लेना चाहते हैं या रिमोट ई-वॉटिंग या बैलट के दौरान ई-वॉटिंग के माध्यम से अपना वोट जमा करना चाहते हैं, वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं।

ईमेल आईडी और बैलट विवरण पंजीकृत करने/अपडेट करने का तरीका: जिन शेयरधारकों ने अपनी ईमेल आईडी और बैलट खाता विवरण पंजीकृत नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित तरीके से अपने पंजीकृत करें:

फिजिकल प्रारूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	डिवायजिटी द्वारा प्रारूपित ई-वॉटिंग और हॉलसंग पोर्टल (आरटीपी) द्वारा फार्मेटिंग/शेयरिंग पर कंज्यूअर सर्विसेज या, बि. टी. टी.सी. द्वारा फार्मेटिंग, नंबर 90, माइनर, दिल्ली-110002 के पास भेजी या ईमेल beetelra@gmail.com के माध्यम से भेजे और साथ में वे जानकारी/दस्तावेज भी भेजें:
ई-मेल आईडी अपडेट करने के लिए	बैलट खाता विवरण अपडेट करने के लिए
1. फोर्गोसल	ईमेल अपडेट करने के लिए जरूरी जानकारी के अलावा, नीचे दी गई जानकारी/दस्तावेज भी जरूरी हैं:
2. शेयरधारक का नाम	1. बैलट अकाउंट की जानकारी जैसे बैलट अकाउंट नंबर, बैलट और प्राय का नाम
3. शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (आगे और पीछे दोनों तरफ)	2. आईडी और आईडी/